भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2819
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत मछुआरे

2819. प्रो. सौगत रायः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पंजीकृत मछुआरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मछुआरों की आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र के मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत कल्याणकारी पहलों एवं मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों के लिए 13,924.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्रीय शेयर 6,415.87 करोड़ रुपए है तथा 3,535.03 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) देश भर में मछुआरों के कल्याण और उनकी आजीविका में सुधार पर विशेष महत्त्व देने के साथ मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। PMMSY के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं और जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में है, जबकि कल्याणकारी पहलों से लाभान्वित होने के लिए नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरों का विवरण **अनुबंध-II** में है।

(ग): जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित स्थाई (सस्टेनेबल) विकास को बढ़ावा देते हुए भारत के तटीय भागों और समुद्री क्षेत्रों के अद्वितीय पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए CRZ अधिसूचनाएं जारी की गई थीं । CRZ अधिसूचना मछुआरा समुदाय के लिए आजीविका सुरक्षा का प्रावधान करती है। जबकि निर्माण, औद्योगिक, वाणिज्यिक व्यवस्था और आवासीय भवनों के लिए सख्त नियम हैं, CRZ अधिसूचना के अंतर्गत, CRZ के नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) में भी उपयुक्त सक्षम प्रावधानों के माध्यम से मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। मछुआरा समुदाय की आजीविका से जुड़ी सुविधाएं जैसे फिश ड्राइंग यार्ड, जाल मरम्मत यार्ड, पारंपरिक बोट निर्माण यार्ड, आइस प्लांट, आइस क्रशिंग यूनिट्स, नीलामी हॉल, मत्स्य उपचार (फिश क्यूरिंग) सुविधाएं आदि को NDZ में अनुमति दी गई है। मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों को NDZ में उनके पारंपरिक अधिकारों के अनुसार अपने आवासीय इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई है।

******

अनुबंध – I

कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत मछुआरों के संबंध में 10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2819 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत और जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	लाभार्थी शेयर	जारी की गईं निधियाँ
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2886.75	1684.25	0.00	1202.50	500.00
2	आंध्र प्रदेश	162788.20	31720.00	110588.40	20480.40	20604.68
3	अरुणाचल प्रदेश	15411.39	10739.09	1192.96	3479.34	10069.97
4	असम	33948.88	20184.79	2820.86	10905.21	11043.02
5	बिहार	27501.48	8817.39	5828.27	12792.82	2641.74
6	छत्तीसगढ	71304.45	24333.23	16057.49	30512.73	17123.00
7	दमन और दीव और दादर नगर हवेली	12885.69	12885.69	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	3127.00	1187.49	786.33	1146.18	2527.15
10	गुजरात	47334.50	19133.76	12755.84	15444.90	3742.14
11	हरियाणा	60087.75	21342.86	16005.24	22739.65	9562.64
12	हिमाचल प्रदेश	8499.98	4616.16	545.76	3335.98	3232.64
13	जम्मू और कश्मीर	9621.87	5043.28	0.00	4578.59	5479.56
14	झारखंड	22065.66	7916.91	5028.59	8802.16	3341.44
15	कर्नाटक	66378.62	24444.39	16599.28	25334.96	13382.42
16	केरल	99446.51	44925.47	34947.29	19573.77	25804.29
17	लद्दाख	2654.60	1604.76	0.00	1049.84	1014.02
18	लक्षद्वीप	2239.00	1343.40	99.20	796.40	0.00
19	मध्य प्रदेश	59588.06	20579.82	13175.98	24897.27	14316.19
20	महाराष्ट्र	98160.96	37488.28	27547.59	32678.09	22751.66
21	मणिपुर	16352.20	7605.42	845.05	7901.75	1000.00
22	मेघालय	9826.40	5570.31	618.93	3637.17	3039.84
23	मिजोरम	8380.80	4523.74	523.65	3333.41	4393.58
24	नागालैंड	11718.58	7913.83	862.31	2925.44	5185.25
25	उड़ीसा	67796.00	29341.10	23020.24	15434.70	18381.21
26	पुद्दुचेरी	30367.18	26290.88	0.00	4074.30	4231.00
27	पंजाब	7877.25	2475.70	1650.46	3751.09	2128.08
28	राजस्थान	4175.00	1447.52	964.90	1762.50	148.81
29	सिक्किम	5039.28	3176.10	354.55	1508.63	2763.42
30	तमिलनाडु	79530.25	32292.84	34592.83	12644.58	10419.87
31	तेलंगाना	19451.49	6836.46	4394.92	8220.12	1336.47
32	त्रिपुरा	18798.51	11345.22	1291.25	6141.05	4137.43
33	उत्तर प्रदेश	70165.40	22325.57	14888.71	32951.11	14232.77
34	उत्तराखंड	20874.47	10756.35	1195.15	8922.97	12444.50
35	पश्चिम बंगाल	54439.44	22554.68	12848.30	19036.45	5507.70
36	अन्य संस्थान	36400.00	21840.00	0.00	0.00	49780.40
37	बीमा गतिविधियाँ	6410.00	6410.00	0.00	3960.00	6410.00
38	PMMKSSY	1193.07	1193.07	0.00	0.00	1193.07
	कुल (क)	**1274726.67**	**523889.81**	**362030.31**	**371996.05**	**313869.96**
	केंद्रीय क्षेत्र के प्रस्ताव (ख)	117697.33	117697.33	0.00	115.55	39632.60
	कुल योग (क+ख)	**1392424.00**	**641587.14**	**362030.31**	**331693.14**	**353502.56**

*****

<u>**अनुबंध - II**</u>

कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत मछुआरों के संबंध में 10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2819 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: <u>नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरों का राज्य-वार विवरण</u>

क्र.सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के नाम**	**कुल पंजीकरण**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,535
2	आंध्र प्रदेश	2,79,578
3	अरुणाचल प्रदेश	4,227
4	असम	2,44,469
5	बिहार	1,72,724
6	चंडीगढ़	219
7	छत्तीसगढ	58,951
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	4,789
9	दिल्ली	940
10	गोवा	2,834
11	गुजरात	1,15,682
12	हरियाणा	8,291
13	हिमाचल प्रदेश	12,040
14	जम्मू-कश्मीर	30,853
15	झारखंड	41,591
16	कर्नाटक	2,00,203
17	केरल	2,51,378
18	लद्दाख	101
19	लक्षद्वीप	3,292
20	मध्य प्रदेश	89,445
21	महाराष्ट्र	2,76,431
22	मणिपुर	25,412
23	मेघालय	23,951
24	मिजोरम	4,601
25	नागालैंड	9,436
26	उड़ीसा	2,39,363
27	पुद्दुचेरी	14,544
28	पंजाब	4,704
29	राजस्थान	6,032
30	सिक्किम	2,031
31	तमिलनाडु	3,56,673
32	तेलंगाना	2,63,054
33	त्रिपुरा	1,01,424
34	उत्तर प्रदेश	1,22,312
35	उत्तराखंड	10,730
36	पश्चिम बंगाल	74,005
	कुल योग	**30,60,845**

*****